



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ17( )परावि/प्रशा.1/पु.नि./भरतपुर/18/4163 जयपुर, दि 03/10/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद- भरतपुर।

**विषय:-** श्री निहाल सिंह चौधरी, सेवा निवृत्त लेखाधिकारी-प्रथम, सेवा निवृत्त सहायक लेखाधिकारी-प्रथम की संविदा पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री निहाल सिंह चौधरी, सेवा निवृत्त लेखाधिकारी-प्रथम द्वारा पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर में लेखाधिकारी-प्रथम के रिक्त पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि श्री निहाल सिंह चौधरी, सेवा निवृत्त सहायक लेखाधिकारी-प्रथम को कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-II /94 11 जुलाई, 2017 एवं दिनांक 08.02.2018 के प्रावधानों/शर्तों के अनुसार पंचायत समिति आहोर में सहायक लेखाधिकारी-I के रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक संविदा पर पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर इस विभाग को अवगत करावें।

आज्ञा से

(दिनेश कुमार जांगीड)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

**प्रतिलिपि :-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर।
2. निजी/आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार


ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.17( )परावि/प्रशा.1/पु.नि./भरतपुर/18/ 4165

जयपुर, दिनांक 4.10.18


**:संशोधित आदेश:**

इस कार्यालय के आदेश संख्या क्रमांक:एफ. 17( ) परावि/प्रशा.1/पु.नि./भरतपुर/18/4163 दिनांक 03.10.2018 में पंचायत समिति आहोर के स्थान पर पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर पढा जाए।

  
(दिनेश कुमार जांगिड)  
अतिरिक्त आयुक्त  
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे-

- 1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,भरतपुर।
- 2.विकास अधिकारी,पंचायत समिति सेवर,भरतपुर।
- 3.निजी/आदेश पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)